

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री अमित कुमार साहू पिता श्री जयपाल साहू निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ;, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 33, 35, 36, 43 & 137 के अधीन प्लॉट सं. 495, 1216, 1164, 1796, 1764, 1792, 556, 1002, 1065, 2256, 1324, 1328, 1357, 1755, 1756, 563 और 276; कुल रकबा – 02.00 एकड़ (रैयती) (पैकेज डील) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/वेबसाइट/http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्र दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 33, 35, 36, 43 & 137 के अधीन प्लॉट सं. 495, 1216, 1164, 1796, 1764, 1792, 556, 1002, 1065, 2256, 1324, 1328, 1357, 1755, 1756, 563 और 276; कुल रकबा – 02.00 एकड़ रैयती भूमि (पैकेज डील), जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री अमित कुमार साहू पिता श्री जयपाल साहू निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ;, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

कि.सा.म.म.
20/01/22